कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर

पत्रांक :– 326/ल0सिं0/लेखा/निविदा/2019–20 दिनांक –09.09.2019

ई–निविदा सूचना सं0 04/2019–20

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड, कानपुर के अर्न्तगत जनपद कानपुर नगर में मध्यमगहरी बोरिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्रीयों आपूर्तिहेतु सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मो/ठेकेदारों से ऑनलाइन **http://etender.up.nic.in**के माध्यम से प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड एवं प्राईस–बिड/फाइनेन्शियल बिड, ठेकेदारों से **दिनांक 16.09.19 से दिनांक10.10.19 तक अपरान्ह 12:00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक 10.10.19 को अपरान्ह 02.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ के कार्यालयमें अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी एवं प्री–क्वालीफिकेशन बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के प्राइस बिड/फाइनेन्शियल बिड दिनांक **10.10.19**को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

कार्य का विवरण (जनपद– कानपुर नगर)

क0 सं0	योजना का नाम	सामग्रीका नाम	मात्रा	कार्य पूर्ण होने की अवधि	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य /स्टेशनरी सहित
1	मध्यम गहरी बोरिंग	150 mm pvc centrlizer as per ISI standard (335mmX270mmX5mm)	450	15 दिन	32400.00	150+500= 650
2		150 mm pvc end cap as per ISI standard (165mmX175mmX8mm)	150	15 दिन	10800.00	75+500= 575
3		175mm pvc top cap as per ISI standard (180mmX215mmX7mm)	150	15 दिन	13500.00	75+500= 575
4		175x150mm pvc reducer as per ISI standard (295mmX210mmX8mm)	150	15 दिन	14700.00	75+500= 575
5		MS iron clamp 175 mm diameter (8mmX75mmX950mm)	150	15 दिन	15300.00	75+500= 575

यह निविदा/बिड सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट **http://upgov.nic.in** सूचना विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in**लघु सिंचाई विभाग के वेबसाइट **http://minorirrigation.up.nic.in**एवं ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in**पर भी उपलब्ध है तथा निविदा/बिड की विस्तृत शर्ते निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी जो निविदा की वेबसाइट पर अपलोड रहेंगी।

Technical Evaluation by Tender Committee will be done offline e-envelope/sealed envelope of financial bid will be opened only qualified bidders of technical bid. Financial bid will be opened at 03:00 PM on dated 10-10-2019.

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।

Scanned by CamScanner

नियम व शर्तें

01. ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in**पर प्री–क्वालीफिकेशन तकनीकी बिड़ के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2), शासन द्वारा निर्धारित घोषणा शपथ पत्र (आई0डी0टी0–3) रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित,जी.एस.टी. नम्बर, एवं गुडस एण्ड सर्विस टैक्स विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर विगत दो वर्षों के आयकर क्लियरेन्स/ आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां एंव रू0 100.00 के जुडिशियल स्टैम्प पेपर (जिस पर रूपये 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा की दरें 15 दिवस तक मान्य होंगी)। धरोहर धनराशि व अन्य उपरोक्त प्रपत्रों/अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति उपरोक्त बेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड़ करना अनिवार्य होगा ।

02. भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को प्री–क्वालीफिकेशन तकनीकी बिड़ के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा :–

    (क)–फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

    (ख)–फर्म में मालिकाना हक से सम्बन्धित डीड।

03. धरोहर धनराशिएन0एस0सी0, एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0/ के0वी0पी0 जो केवल राष्ट्रीयकृत वैंक द्वारा निर्गत हो एवं **अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड, कानपुर** के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। इसकी स्कैन्ड कॉपी ऑन लाइन अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के रूप में वैंक गारण्टी मान्य नहीं होगा। शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए कार्य की लागत की दो प्रतिशत धरोहर धनराशि अनुमन्य होगी। शेष जमानत की सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित स्कैन्ड कॉपी बेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।

04. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

05. नियमानुसार देयक से जी.एस.टी.,आयकर,स्टाम्प डयूटी एंव अन्य कोई कर (यदि लागू हो) की कटौती की जायेगी।

06. कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

07. यह माना जाएगा कि निविदा देने वाले ने लघु सिंचाई विभाग के स्पेशिफिकेशन व निविदा के साथ संलग्न शर्तो, धाराओं व नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है। वह उनके अनुसार कार्य करने पर सहमत है। ठेकेदार का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व सामग्री आपूर्ति हेतु पहुंच मार्ग का परीक्षण कर लें एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करें।

08. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बतायें अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

09. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध भी हो गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

10. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा।

11. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

12. एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा डाल सकेगा, यदि एक ही व्यक्ति एक से अधिक फर्मो का प्रोपराईटर है तो ऐसी स्थिति में एक कार्य की एक ही निविदा डाल सकेंगा।

13. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

14. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड एवं विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. ऑन लाइन बिडिंग तथा कार्य से सम्बन्धित प्रकिया को स्पष्ट करने हेतु एक प्री–बिड मीटिंग दिनांक 28.09.19 को अपराह्न12:30 बजे से **अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड,कानपुर** कार्यालय में आयोजित की गयी है जिसमें इच्छुक ठेकेदार भाग ले सकते हैं।

Scanned by CamScanner

16. शासनादेश संख्या 822 दिनांक 08.06.2012 के अन्तर्गत ठेकेदार को 10 प्रतिशत बिलों दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी देय होगी।
17. बिना औचित्य एवं बिना किसी आधार के दरें डाले जाने पर निविदा निरस्त किये जाने एवं निविदादाता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. कार्यों के अनुबन्ध, धन उपलब्धता के अनुसार ही गठित किये जायेंगे।
19. ऐसे निविदादाता जिनके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम ब्लड रिलेशन या उनके पति/पत्नी) प्रखण्ड/मण्डल कार्यालय में, प्रखण्डीय लेखाधिकारी अथवा अधीक्षण अभियन्ता, से अवर अभियन्ता, के मध्य किसी पद/श्रेणी में तैनात अधिकारी हो, को निविदा डालने की अनुमति नहीं होगी।
20. कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा अराजपत्रित अभियन्ता/कर्मचारी, जो राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार, के अभियन्त्रण विभाग से सेवा निवृत्त हुआ हो, उसे सेवा निवृत्त के 2 वर्ष तक बिना सरकारी अनुमति के ठेकेदार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई ठेकेदार अथवा उसके स्टाफ में इस प्रकार के कोई अधिकारी/कर्मचारी पाये जाते है तो उनका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
21. निविदादाता अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, मोबाइल नम्बर व पता साफ–साफ लिखें। उसी पते पर उससे अनुबन्ध सम्बन्धी पत्र व्यवहार किया जायेगा। यह मान लिया जायेगा कि विभाग द्वारा उस पते पर भेजे गये सभी पत्र निविदादाता को मिल गए हैं। उस पते पर भेजे गये पत्रों की प्राप्ति का अचूक प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी निविदादाता पर होगी।
22. अनुबन्ध से सम्बन्धित सभी विवाद का फैसला आपस में बैठकर ठेकेदार व सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के बीच न होने पर निर्णयार्थ प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उनका निर्णय ठेकेदार व सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता दोनों पर मान्य होगा।
23. टेण्डर डालने से पूर्व कार्य स्थल की भली–भाँति जानकारी मौके पर जा कर कर लें। अनुबन्ध के उपरान्त किसी प्रकार की समस्याओं का उत्तरदायित्व विभाग का न होगा ।
24. सामाग्री की आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार लघु सिंचाई विभाग,कम्पनी बाग कानपुर नगर होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।

पत्रांक एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. आयुक्त, कानपुर मण्डल ,कानपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त,लखनऊ ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ ।
7. खण्डीय लेखाधिकारी लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।
8. समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त,लखनऊ ।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर एक प्रति कानपुर नगर की एन.आई.सी. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड–कानपुर।

Scanned by CamScanner